न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 19/2009 (223 आर. टी. एक्ट)

उनवान

1. रामदयाल पुत्र सामन्ता
2. किरन वेवा विजय सिंह
3. अशोक
4. जगमोहन } पिस0 विजय सिंह जरिये संरक्षक
5. सत्यभान } माता किरन वेवा सामन्ता

जाति जाटव नि0 न्यामदपुर तहसील वैर जिला भरतपुर।

6. उदयसिंह पुत्र सामन्ता
7. हरी सिंह पुत्र सामन्ता
8. नथिया वेवा सामन्ता
9. रतन पुत्र घीस्या(मृतक)

9/1. हंसराज
9/2. बलवीर सिंह } पिस0 रतन सिंह
9/3. श्याम सिंह
9/4. रमेशचन्द

.....अपीलांट।

बनाम

1. लेखराज पुत्र प्रताप जाति जाट
2. रामरतन पुत्र मोहन जाति जाटव } निवासी न्यामदपुर तहसील वैर जिला भरतपुर।
3. अशोक पुत्र मोहन जाति जाटव

..... रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, वैर दि0 22.12.2008 प्र.सं. 340/01 उनवान रामदयाल बनाम लेखराज।

अभिभाषक :–

1. वकील अपीलांट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित ।
2. वकील रेस्पोडेण्ट श्री तालेराम उपस्थित ।

निर्णय दिनांक :– 21.03.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.12.2008 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/वादीगण ने एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि आराजी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खसरा नम्बर 365 रकवा 05 बीघा 08 विस्वा वाके ग्राम न्यामदपुर के अपीलाण्ट/वादीगण सहखातेदार काश्तकार व काबिज आराजी हैं। उक्त विवादित भूमि पैतृक आराजी है जिस पर अपीलाण्ट/वादीगण का अपने पूर्वजों के समय से ही कब्जा काश्त है। रैस्पो0/प्रतिवादीगण का उक्त आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। परन्तु रैस्पो0/प्रतिवादीगण एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जो आये दिन विवादित आराजी से अपीलाण्ट/वादीगण को बेदखल करने की धमकी देते हैं। यदि रैस्पो0/प्रतिवादीगण अपनी उक्त धमकी में कामयाब हो गये तो अपीलाण्ट/वादीगण को असीम क्षति होगी। अतः दावा प्रस्तुत कर डिक्री किये जाने एवं रैस्पो0/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दावा, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/वादीगण ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गईं। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध एवं पत्रावली पर सिद्ध तथ्यों के विपरीत व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 01 का निर्णय रिकार्ड के विपरीत दिया है। आराजी खसरा नम्बर 365 रकवा 05 बीघा 08 विस्वा का नम्बर है, जिसके अपीलाण्ट खातेदार काश्तकार काबिज आराजी हैं एवं राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2012 से पूर्व से आज तक अपीलाण्ट के नाम इन्द्राज चला आ रहा है तथा कब्जा भी अपीलाण्ट का ही मौके पर साक्ष्य से साबित है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने गलत एवं बिना अधिकार के शुद्धी पत्र को आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जबकि जमाबन्दी में विवादित खसरा नम्बर पर कब्जा एवं इन्द्राज अपीलाण्ट का है। जमाबन्दी संवत 2056–59 में किसी शुद्धी पत्र का हवाला देकर शुद्धी का नोट होने से अपीलाण्ट की खातेदारी समाप्त नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि रैस्पो0 स्वयं विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा मानते हैं एवं रैस्पो0 संख्या 01 स्वयं यह कहता है कि खसरा नम्बर 366 का कोई रकवा खसरा नम्बर 365 में नहीं मिला। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 22.12.2008 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने अपनी जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित आराजी का रकवा 05 बीघा 08 विस्वा ना होकर के 05 बीघा 03 विस्वा का है। इस खसरा नम्बर 365 के सहारे खसरा नम्बर 366 रकवा 05 बीघा 13 विस्वा है। अपीलाण्ट ने रैस्पो0 द्वारा कराई गई दुरूस्ती दिनांक 11.12.2001 को होना मानकर उक्त दुरूस्ती को अवैध होना बताया है। किन्तु अपीलाण्ट ने अपने दावा में रैस्पो0 को जरिये निषेधाज्ञा पाबन्द कराने की दादरसी चाही गई है, उक्त कथित दुरूस्ती को निरस्त करने बाबत् दावा में कोई रिलीफ नहीं मांगी गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य नकल जमाबन्दी संवत 1985, नकल खसरा संवत 1991 से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 365 का रकवा 05 बीघा 03 विस्वा का रहा है किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा संवत 2013 में उक्त खसरा नम्बर 365 का रकवा 05 बीघा 08 विस्वा कर दिया, जो दुरूस्ती की गई है वह वैधानिक व नियम के अनुरूप है। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित ही दावा अपीलाण्ट खारिज किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु अनुतोष सहित 9 तनकियॉ निर्धारित की है। तनकीवार विवेचना निम्न प्रकार हैं :–

6. तनकी संख्या 01 व 02 **"आया खसरा नम्बर 365 रकवा 05 बीघा 08 विस्वा वाके ग्राम न्यामदपुर तहसील वैर पर वादीगण खातेदार काश्तकार व काबिज हैं एवं अपने पूर्वजो के जमाने से वहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में निरन्तर काश्त करते चले आ रहे हैं"** दोनों तनकी की विषय वस्तु एक समान होने के कारण एक साथ विवेचना की जा रही हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों तनकियॉ शुद्धि पत्र संख्या 06 दिनांक 11.12.2001 के आलोक में विरूद्ध अपीलाण्ट/वादी वहक रैस्पो0/प्रतिवादी तय की हैं। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मूल वाद के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी संवत 2056–59 के खाता संख्या 254 में खसरा नम्बर 365 रकवा 05 बीघा 08 विस्वा पर अपीलाण्ट/वादी खातेदार दर्ज है। इसके विपरीत रैस्पो0/प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र 41 रूल 27 के साथ प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2056–59 के खाता संख्या 254 में कॉट–छॉट हैं किन्तु मूल वाद के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी स्पष्ट है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श डी–2 जमाबन्दी संवत 2056–59 में शुद्धि पत्र द्वारा विवादित आराजी का रकवा 05 विस्वा कम कर 05 बीघा 08 विस्वा के स्थान पर 05 बीघा 03 विस्वा शुद्ध किया गया है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 365 पर अपीलांट के खातेदार दर्ज होने से अपीलाण्ट/वादीगण का स्वामित्व/कब्जा होना तो सिद्ध है। परन्तु इसमें कथित 05 विस्वा रकवा विवाद का मूल विषय है। जिसका परीक्षण अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं किया है। यदि खसरा नम्बर 365 का रकवा 05 बीघा 03 विस्वा माना भी जावें तो खसरा नम्बर 365 का कथित कम हुआ 05 विस्वा रकवा, रैस्पो0/प्रतिवादी का था अथवा कुलदेह में कम हुआ ? इस प्रश्न का कोई परीक्षण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है। अतः दोनों तनकी बाबत् अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष स्थिर नहीं है।

7. तनकी संख्या 03 **"आया वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने के अधिकारी हैं"** तनकी संख्या 01 व 02 की विवेचना अनुसार कथित कम हुए 05 विस्वा रकवा का परीक्षण किया जाना वांछनीय है कि 05 विस्वा रकवा कुलदेह में कम हुआ अथवा प्रतिवादी को दिया गया। इसके अतिरिक्त यह स्थिति भी हो सकती है कि खसरा नम्बर 365 का रकबा 05 बीघा 08 विस्वा से 05 बीघा 03 विस्वा करने में मात्र लिपिकीय त्रुटि को दूर किया है, कुलदेह प्रभावित नहीं होता है। उपरोक्त सम्भावित स्थितियों में से इस प्रकरण में कौन सी स्थिति है, तय होना आवश्यक है। अतः उक्त तथ्य के परीक्षण किये बिना, हम अधीनस्थ न्यायालय की तनकी विवेचना को उचित नहीं पाते हैं।

8. तनकी संख्या 04 " **आया विवादित आराजी खसरा नम्बर 365 रकवा 05 बीघा 08 विस्वा का नो होकर 05 बीघा 03 विस्वा है। 05 बीघा 08 विस्वा का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होता चला आ रहा है जिसकी जानकारी होने पर शुद्धिकरण कराया गया है"** अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी रैस्पो0/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2056–59 प्रदर्श डी–3 में लाल स्याही से शुद्धि पत्र संख्या 06 दिनांक 11.12.2001 के आधार पर वहक रैस्पो0/ प्रतिवादी विरूद्ध अपीलाण्ट/वादी तय की है। किन्तु जैसा कि तनकी संख्या 01, 02 की विवेचना में आया है कि उक्त जमाबन्दी में कॉट–छॉट होने एवं मूल वाद के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी, दोनों एक ही संवत की होने के कारण विरोधाभासी हैं। इस प्रकार प्रकरण में प्रस्तुत जमाबन्दी की दो नकलो में से

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रमाणिक कौन सी है तय किया जाना है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के तनकी निष्कर्ष स्थिर नहीं हैं, परीक्षण वांछनीय है।

9. तनकी संख्या 05, 06 के निष्कर्ष तनकी संख्या 01 लगायत 04 की विवेचना से प्रभावित होते हैं। तनकी संख्या 7 **"आया प्रतिवादी संख्या 01 के खसरा नम्बर 366 रकवा 05 विस्वा कम था जिसका क्षेत्रफल खसरा नम्बर 365 का निकला है"** तनकी संख्या 01 व 02 की विवेचनानुसार, रैस्पो0/प्रतिवादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह साबित होता हो कि खसरा नम्बर 366 का रकवा पूर्व में कितना था एवं बाद में 05 विस्वा कम हो गया हो। मात्र खसरा नम्बर 365 बाबत् रिकार्ड ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है। अतः इस तनकी बाबत् भी अधीनस्थ न्यायालय के निष्कर्ष स्थिर रहने लायक नहीं हैं।

10. तनकी संख्या 8 **"आया इकतरफा शुद्धि करवाने की कार्यवाही वादीगण के मुकाबले अवैध व शून्य है"** तनकी संख्या 7 की विवेचनानुसार, तनकी संख्या 8 के निष्कर्ष भी उचित नहीं माने जा सकते हैं, अतः तनकी पुनः विनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है।

11. हम यह भी पाते हैं कि विवादित आराजी खसरा नम्बर बाद भू प्रबन्ध बदल गये हैं। अतः वाद संशोधन होना था, जो नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त चूकि खसरा नम्बर 365 का रकवा 05 बीघा 08 विस्वा के स्थान पर 05 बीघा 03 विस्वा की कथित दुरूस्ती है। अतः प्रकरण में तहसीलदार आवश्यक पक्षकार हैं। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट रिमाण्ड किया जाना उचित पाते हैं।

12. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.12.2008 निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाण्ट/वादीगण को वाद संशोधन एवं आवश्यक पक्षकार जोडने का अवसर देते हुए, पक्षकारों को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का विधिवत अवसर प्रदान कर पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 19.04.18 को उपस्थित होवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

13. पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर